ए.रघु, आत्मज राजैया

बनाम

आन्ध्रप्रदेश सरकार और अन्य

(2007 की दीवानी अपील सं.5862)

26 मार्च,2015

(जगदीश सिहं खेहर और एस.ए.बोवडे, न्यायिक न्यायाधिपति)

सेवा कानून -वरिष्ठता -परस्पर वरिष्ठता -आन्ध्रप्रदेश राज्य के पुलिस उप निरीक्षक का संवर्ग -उम्मीदवारों को दो अलग अलग प्रशिक्षु समूहों में विभाजित करना -चयन प्रकिया पर परिणाम का प्रभाव, चयनित उम्मीदवारों को दो दलों में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया- पहले दल का प्रशिक्षण 15.07.1991 को शुरू हुआ जबकि दूसरे दल का प्रशिक्षण 14.06.1992 को शुरू हुआ, उनमें से कुछ उम्मीदवार जिन्होंने 14.06.1992 को अपना प्रशिक्षण शुरू किया था ने अधिकारियों की कार्यवाही का विरोध किया। दिनांक 17.01.1996 की वरिष्ठता सूची में उनके नाम शामिल नहीं किए गए, जिसमें केवल 58 उम्मीदवारों के नाम दर्शाय गए थे जो 15.07.1991 को प्रशिक्षण में शामिल हुए थे- वास्तव में 14.06.1992 से शुरू करने वाले किसी भी उम्मीदवार का नाम इसमे प्रतिबिंबित नहीं किया गया था-वरिष्ठता निर्धारित करने के तरीकें और विधि से संबंधित विवाद अभिनिर्धारित किया गया: चयन प्रकिया संयुक्त रूप से

की गई थी और उसकी अधिसूचना को आगे बढाते हुए दिनांकित 22.01.1991 (भर्ती बोर्ड द्वारा जारी)प्रशिक्षण के दो अलग अलग पाठ्यक्रमों (15.07.1991 और 14.06.1992) में उम्मीदवारों को प्रतिनियुक्त किया गया -अनिवार्य रूप से एक ही दल के उम्मीदवार थे जिन्हें चयन की एक सामान्य प्रकिया के माध्यम से चुना गया था -जिन्हें दो दलों में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था (15.07.1992 को और 14.06.1992) को चयन प्रकिया में उनकी संबधित योग्यता स्थिति के कारण ही उन्हें इस प्रकार प्रतिनियुक्त किया गया- यह निर्धारण नियम 15 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन होगा जो बताता है पुलिस उपनिरीक्षकों की परस्पर वरिष्ठ का निर्धारण चयन के समय तैयार की गई योग्यता सूची के अनुसार नहीं किया जायेगा चयन की प्रकिया सामान्य प्रकिया से चुने गए उम्मीदवारों की वरिष्ठता, आन्ध्रप्रदेश राज्य के पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में उनके प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त अंतिम कुल अंको के आधार पर निर्धारित की जाती है -अनिवार्य नियम होने के कारण, उन उम्मीदवारों के लिए जिन्होंने चयन की एक सामान्य प्रकिया में भाग लिया था चाहें वे किसी भी तिथि को प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किए गए हो संबंधित पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय की अंतिम परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंको के योग के आधार पर उनकी परस्पर वरिष्ठता निर्धारित की जा सकती है । सेवा नियम के नियम 15 में दी गई यह व्याख्या नियम में दिए गए अन्तनिर्हित सिद्धान्त को संतुष्ट करती है अर्थात पुलिस उप निरीक्षक के पदों पर नियुक्त अभ्यर्थियों को चयन की प्रकिया में प्राप्त अंको के आधार पर नहीं बल्कि

प्रशिक्षण प्रकियाओं के समापन पर उनके द्वारा प्राप्त कुल अंको के अनुसार वरिष्ठता सूची में रखा जाएगा - आंध्रप्रदेश पुलिस सिविल अधिनियम सेवा नियम -आर.15

दीवानी अपीलीय क्षैत्राधिकार -2007 की दीवानी अपील सं.5862

2004 की रिट याचिका सं. 19328 में हैदराबाद स्थित आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 08.02.2005 से साथ में 2007 की दीवानी अपील सं. 6002 -6005।

अनूप जी. चौधरी, पी.पी. राव, वरिष्ठ अधिवक्ता, पी.विनय कुमार, आर.चन्द्रशेखर रेड्डी, के.शिवराज चौधरी, वी. महेश्वर रेड्डी, प्रभाकर पम्म, सर्वनेन्दु चटर्जी, अनिल कुमार टण्डेल, एस.उदय कुमार सागर, कृष्ण कुमार सिहं, गुन्टूर प्रभाकर, अधिवक्तागण उपस्थित पक्षों के लिए न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

जगदीश सिहं खेहर, न्यायाधिपति 1 यह विवाद का विषय नहीं है कि आंध्रप्रदेश राज्य में पुलिस उपनिरीक्षक के पद पर वरिष्ठता निर्धारित करने के तरीके और पद्धति सहित सेवा की शर्ते आंध्रप्रदेश पुलिस, सिविल अधीनस्त सेवा नियमों (इसके बाद सेवा नियमों से संबोंधित किया गया) 26.08.1959 को अधीसूचित साथ में विशेष नियम 14.12.1990 को अधिसूचित को पढा जाएगा के द्वारा विनियमित होती है प्रतिद्वंद्वी पक्षों के विद्वान अधिवक्ता इस बात पर सहमत है कि वरिष्ठता का विवाद (जो वर्तमान अपीलों में प्रतिद्वंदी पक्षों के मध्य विवाद का मुख्य मुद्दा है) उक्त

नियमों के नियम 15 के तहत निर्धारित किया जाना है जो यहां दिया गया है:

15. वरिष्ठता-। किसी वर्ग या श्रेणी या ग्रेड में किसी व्यक्ति की वरिष्ठता जब तक की उसे दण्ड के रूप में निचली रैंक पर नहीं गिरा दिया गया हो ऐसे वर्ग या श्रेणी या ग्रेड में उसकी पहली नियुक्ति की तारीख से निर्धारित की जाएगी। यदि ऐसे व्यक्ति की सेवा का कोई भी हिस्सा सामान्य नियमों के तहत उसकी परीविक्षा से नहीं गिना जाता है तो उसकी वरिष्ठता उसकी सेवा शुरू होने की तारीख से निर्धारित की जाएगी और उसकी परीविक्षा को गिना जाएगा।

बशर्ते कि पुलिस उपनिरीक्षक (खुफिया) और रिजर्व उपनिरीक्षकों के मामले में परस्पर वरिष्ठता पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में या आंध्रप्रदेश विशेष पुलिस में प्रशिक्षण पूरा करने पर तय की जाएगी।

चयन के समय की सूची के बजाय परीविक्षार्थी द्वारा प्राप्त कुल अंको के अनुसार योग्यता क्रम में व्यवस्थित सूची के अनुसार निर्धारण किया जाएगा।

1. जैसा भी मामला हो कि पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज या आंध्रप्रदेश विशेष पुलिस में उसके रिकार्ड के संबंध में।

2. अन्तिम परीक्षा में योग्यता के ऐसे क्रम का निर्धारण करने में किसी परीक्षार्थी के किसी भी विषय में दिये गये अंको पर ध्यान नहीं दिया जाएगा जिसमें वह असफल रहा है लेकिन परीविक्षा पूर्ण होने से पूर्व ऐसी

वरिष्ठता संबंधित पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा पुनरीक्षण के लिए उत्तरदायी होगी यदि वह आवश्यक समझें ।

यह उपनियम सेवा के किसी भी सदस्य की वरिष्ठता को प्रभावित नहीं करेगा जो कि 19 नवम्बर 1941 से पूर्व स्पष्ट रूप से या निहितार्थ द्वारा तय किये गये है या वरिष्ठता के संबंध में कोई आदेश जो 19 नवम्बर 1941 से पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया हो ।

बशर्ते कि सीधे भर्ती किए गये पुलिस उपनिरीक्षकों के मामलें में पारस्परिक वरिष्ठता उनके चयन के समय के अंको के बजाय पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज/आंध्रप्रदेश पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण पूरा होने पर उनकी योग्यता के क्रम में व्यवस्थित की गई सूची के अनुसार तय की जाएगी जो इन संस्थाओं में आयोजित प्रशिक्षण मॉडुएल के लिए निर्धारित परीक्षणों और परीक्षाओं में प्रत्येक परीविक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंको के कुल के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

पुलिस उपनिरीक्षक सिविल या समान वेतनमान वाली सेवा के समकक्ष रैंक से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त पुलिस उपनिरीक्षक की वरिष्ठता को पहली नियुक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा बल्कि इसके संदंर्भ में उस वर्ग या श्रेणी में उसकी वरिष्ठता को उस तारीख से जिससे उसे स्थानान्तरित किया गया था निर्धारित किया जाएगा।

बशर्ते की स्थानान्तरण द्वारा सशस्त्र रिजर्व और आंध्रप्रदेश विशेष पुलिस बटालियन के रिर्जव उपनिरीक्षकों में से चुने गये उपनिरीक्षक की

परस्पर वरिष्ठता प्रत्येक रेंज जोन के लिए अलग से योग्यता के क्रम में तय की जाएगी जो पुलिस प्रशीक्षण महाविद्यालय में छ महीने के प्रशिक्षण के अन्त में आयोजित अन्तिम परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त कुल अंको के आधार पर आधारित होगी योग्यता के ऐसे क्रम को निर्धारित करने में असफल विषयों में प्राप्त अंको को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है।

नियुक्ति प्राधिकारी किसी आदेश को पारित करते समय किसी वर्ग या श्रेणी में एक साथ दो या दो से अधिक व्यक्तियों को किसी भी कारण से उनके बीच वरियता क्रम तय कर सकता है और जहाँ ऐसा तय किया गया है वहा वरिष्ठता उसके अनुसार निर्धारित की जाएगी।

किसी व्यक्ति का सेवा के एक वर्ग या श्रेणी से समान वेतन या वेतनमान वाले दूसरे वर्ग या श्रेणी में स्थानान्तरण वरिष्ठता के प्रयोजनों के लिए पहली नियुक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा और इस प्रकार स्थानान्तरित व्यक्ति की वरिष्ठता का निर्धारण उस वर्ग या श्रेणी में उसकी पहली नियुक्ति की तारीख के संदर्भ में किया जाएगा, जहाँ से उसका स्थानान्तरण किया गया था ।

जहाँ इस उपनियम को लागू करने में कोई कठिनाई या संदेह उत्पन्न होता है वहा वरिष्ठता नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी।

जहाँ किसी भी वर्ग, श्रेणी या ग्रेड में सेवा के किसी भी सदस्य को निम्न वर्ग, श्रेणी या ग्रेड में कम कर दिया जाता है तो उसे सीढी के शीर्ष पर रखा जाएगा जब तक की ऐसी कटौती का आदेश देने वाला प्राधिकारी

यह निर्देश नहीं देता है कि उसे उस श्रेणी या ग्रेड में उसके किसी विशेष सदस्य के बाद ऐसे निचले वर्ग में रैंक दिया जाए।

इस सेवा में योग्य विशेष पुलिसकर्मीयों की रिक्त सेवा में पुष्टि के प्रयोजनों के लिए कांस्टेबल के रूप में स्थानान्तरण द्वारा उनकी वरिष्ठता उनकी पहली सेवा में नियुक्ति की तारीख से की जाती है।

सेवा में समाहित मद्यनिषेध स्टाफ की वरिष्ठता सेवा में मौलिक नियम **22** और **31** के संदर्भ में उनके वेतन निर्धारण के आधार पर निर्धारित की जाएगी

बशर्ते सेवा के समय वेतनमान के एक ही स्तर पर उनकी परस्पर वरिष्ठता उन तारीखों से निर्धारित की जाएगी जिसपर उन्होंने उस स्तर में वेतन प्राप्त करना शुरू किया था ।

बशर्ते इस सेवा में कोई भी सदस्य उत्पाद एवं मध्य निषेध विभाग में नियुक्ति पर उस सेवा के किसी भी सदस्य से वरिष्ठ नहीं होगा जिसने उस सेवा की उसके समान या उससे अधिक अवधि पूरी कर ली हों।

उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग में ऐसे रैंक के सदस्यों के मामलों में जिनका वेतनमान इस सेवा के रैंक के वेतनमान के अनुरूप है उत्पाद एवं निषेध विभाग में उनकी पहली नियुक्ति की तिथि वरिष्ठता निर्धारित करेगी।

जहाँ तक उपयुक्त नियम का संबंध है का संबंध है , भविष्य में स्वीकृत स्थिति यह है कि प्रतिद्वंदी दलो के बीच परस्पर वरिष्ठता उपर दिए गए नियम **15** ए के पहले परन्तुक के संदर्भ में आने योग्य है।

2 प्रतिद्वंदी दलों के मध्य विभाग में पारस्परिक वरिष्ठता के निर्धारण का उद्यम करने से पहले सर्वप्रथम तथ्यात्मक स्थिति को रेखांकित करना आवश्यक है तदानुसार हम इसके बाद सबसे पहले तथयात्मक स्थिति का वर्णन करेंगे क्योंकि यह दलील से और दीवानी अपीलों तत्काल बैंच (खेप) से जुडे विभिन्न आदेशों से उभरती है।

3 आंध्रप्रदेश राज्य में पुलिस विभाग ने सीधी भर्ती के माध्यम से पुलिस उपनिरीक्षक के मौजूदा पदों को भरने का निर्णय लिया। आंध्रप्रदेश राज्य स्तरीय भर्ती बोर्ड (इसके बाद इसे रिक्रूटमेंट बोर्ड के रूप में संबोधित किया जाएगा) ने दिनांक 22.01.1991 को अधिसूचना जारी करके उपरोक्त कार्य किया । उक्त अधिसूचना के अनुसार 7 अलग अलग क्षेत्रों में उपनिरीक्षक के पद भरने की मांग की गई थी चयन की प्रकिया शारीरिक परीक्षण, उसके बाद लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में योग्य उम्मीदवारों पर आधारित थी उपरोक्त चयन प्रकिया के समापन के पश्चात 7 क्षेत्रों में से प्रत्यके के लिए चयन प्रकिया में उनकी परस्पर योग्यता के आधार पर अन्तिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की सूची तैयारी की गई । वर्तमान विवाद का निस्तारण करने हेतू हमनें एक सामान्य आदेश पारित करने का विकल्प चुना जिसमें हम जोन 5 वारगल रैंज के लिए भरी जाने वाली रिक्तियों पर विचार करेंगें। इस सम्बन्ध में यहा यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि महानिरीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक आंध्रप्रदेश हैदराबाद कार्यालय ने दिनांक 14.04.1991 / 17.05.1991 को एक सूचना जारी की

थी जिसमें जोन 5 वारगल रैंज के लिए अन्तिम रूप से चयनित उम्मीदवारों के नाम पर बताए गए थे उपरोक्त सूचना के साथ ही उम्मीदवारों की एक सूची संलग्न की गई थी जिसमें उपरोक्त श्रेणी के लिए चयनित उम्मीदवारों की अन्तिम सूची दर्शायी गई थी । इस सूची में ओपन श्रेणी से 38 नाम, पिछडा वर्ग ए श्रेणी में से 5 नाम पिछडा वर्ग बी श्रेणी से 7 नाम, पिछडा वर्ग सी श्रेणी से एक नाम,पिछडा वर्ग डी श्रेणी से 5 नाम, अनूसूचित जाति श्रेणी से 11 नाम, अनुसूचित जनजाति श्रेणी से 4 नाम, पूर्वसैनिक श्रेणी से 2 नाम, पुलिस अधिकारियों में से 6 नाम, मंत्री स्तरीय सेवा से 1 नाम और खिलाडियों के मध्य से 1 नाम थे।

4. 12.07.1991 को उपरोक्त उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करने के लिए निर्देशित किया गया था हालांकि चयनित उम्मीदवारों में से केवल 58 ने ही प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट की थी बाकि अभ्यर्थी विभिन्न कारणों से शामिल नहीं हुए यह विवाद का विषय नहीं है कि आंध्रप्रदेश राज्य में दो पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय है और तदानुसार उपरोक्त चयनित उम्मीदवारों को उक्त दो प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। आदेश दिनांक 12.07.1991 जिसके द्वारा लघुसूचीबद्ध उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था से ज्ञात होता है कि उम्मीदवारों को प्रशिक्षणमहाविद्यालय में शामिल होने की तिथि से परीवीक्षा पर रखा गया था ।

प्रशिक्षण 9 महीनें की अवधि तक जारी रहेगा , उसके बाद एक वर्ष और तीन माह के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें कम से कम 9 महीनें पुलिस स्टेशन का स्वतंत्र प्रभार रखना भी शामिल होगा । उक्त प्रशिक्षण 16.07.1991 से प्रारंभ होना था

5 एक मुनुस्वामी को छोडकर सभी 58 चयनित उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा किया जहाँ तक मुनुस्वामी का प्रश्न है उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से प्रशिक्षण के अन्त में परीक्षा में भाग नहीं लिया । मुनुस्वामी को 14.06.1992 को प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किए गए उम्मीदवारों के एक बैच के साथ प्रशिक्षण के लिए खुद को नामांकित करने की अनुमति दी गई थी।उक्त बाद के बैच के साथ 1993 में मुनुस्वामी ने अपना प्रशिक्षण पूरा किया।

6 यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि पुलिस उपनिरीक्षकों के केडर के विरूद्ध नियुक्तियों को विनियमित करने वाले वैधानिक प्रावधान में 50 प्रतिशत पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने के लिए निर्धारित है 30 प्रतिशत पद हैडकांस्टेबलों से पदोन्नति द्वारा भरे जाते है। कांस्टेबलों और हैडकांस्टेबलों में से 7 प्रतिशत पुलिस अधिकारियों (इसके पश्चात इसे पी ई से संबोधित किया जाएगा)में से 4 प्रतिशत पुलिस मंत्रालयिक कर्मचारियों (इसके बाद पी एम से संबोधित किया जाएगा) में से 2 प्रतिशत खिलाडियों से (इसके पश्चात एस पी से संबोधित किया जाएगा) रिर्जव उपनिरीक्षकों (सशस्त्र रिर्जव /आंध्रप्रदेश विशेष पुलिस) से स्थानान्तरण के माध्यम से 5

प्रतिशत अधिक नहीं और विशेष परिस्थितियों में अनुकम्पा नियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के माध्यम से 2 प्रतिशत से अधिक नहीं है ।

7 1991 का मूल आवेदन सं. 29957 हैदराबाद में आंध्रप्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण (इसके बाद प्रशासनिक न्यायाधिकरण सें संबोंधित किया जाएगा) के समक्ष दायर किया था जिसमें उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 22.01.1991 में भर्ती के विभिन्न कोटा के निर्धारण की वैधता पर प्रश्न उठाया गया था / उपरोक्त विवाद का निर्धारण करते समय प्रशासनिक न्यायाधिकरण एक निष्कर्ष पर पहुचा कि हैडकांस्टेबलों के 30 प्रतिशत से पदोन्नति के कोटा को छोडकर, पुलिस के रिर्जव उपनिरीक्षकों, सशस्त्र रिर्जव /आंध्रप्रदेश विशेष पुलिस 5 प्रतिशत को स्थानान्तरण के तहत और विशेष परिस्थितियों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां 2 प्रतिशत शेष 3 कोटा सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है इसके बाद प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि सभी 7 क्षेत्र जिसके लिए चयन किया गया था के लिए सीधी भर्ती कोटा गलत तरीके से निर्धारित किया गया था (दिनांक 22.01.1991 की अधिसूचना के क्रम में)तदानुसार प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 30.07.1991 द्वारा अधिकारियों को सभी श्रेणीयों के लिए पी,ई, पी.एम और एस पी कोटा के तहत रिक्तियों की पुर्नगणना करने और अधिसूचना दिनांक 22.01.1991 के माध्यम से शुरू की गई चयन प्रकिया को आगे बढाने के लिए नियुक्तिया करने का निर्देश दिया ।

8 उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में पी.ई, पी.एम, एस.पी कोटे की रिक्तियों की पुर्नगणना कर अभ्यर्थियों के अतिरिक्त नाम प्रशिक्षण हेतू भेजे गए । इन उम्मीदवारों ने 14.06.1992 को अपना प्रशिक्षण शुरू किया और उन्होंने 1993 में अपना प्रशिक्षण पूरा किया ।

यहा यह अभिलेखित करना उचित होगा कि जिस उम्मीदवार ने प्रशिक्षण स्थगित कर दिया था अर्थात मुनुस्वामी और वह उम्मीदवार जिनके नाम प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 30.07.1991 (1991 के मूल आवेदन संख्या 29957 में पारित को पारित आदेश में जारी निर्देशों को आगे बढाने के लिए सूचीबद्ध किये गए थे उन्होंने 14.06.1992 को एक साथ प्रशिक्षण का पाठयक्रम शुरू किया।

9 हमने यहा उपर आलेखित किया था कि जोन अ ;वांरगल रैंजद्ध के लिए अन्तिम रूप से चयनित उम्मीदवारों के नामों में से केवल 58 उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट किया था। राज्य सरकार ने प्रशिक्षण के उदेश्य से प्रशिक्षण में शामिल नहीं होने वाले उम्मीदवारों की संख्या के बराबर अतिरिक्त उम्मीदवारों को नियुक्त करने का एक प्रबुद्ध निर्णय लिया । ऐसे में 10 और अभ्यर्थियों ने चयन प्रकिया में भाग लिया था अधिसूचना दिनांक 22.01.1991 के माध्यम से, और पहली सूची के चयनित उम्मीदवारों के ठीक नीचे रखा गया (11.04.1991/07.05.1991 के माध्यम से प्रशिक्षण हेतू नियुक्त किया गया) प्रशिक्षण के लिए भेजा गया इन उम्मीदवारों को आंध्रप्रदेश राज्य के दो पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में

प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। इन अतिरिक्त उम्मीदवारों ने भी 14.06.1992 को उपरोक्त मुनुस्वामी के साथ एक ही बैच में जिसमें 1991 के मूल आवेदन संख्या 29957 के अन्तर्गत पारित आदेश की पालना में प्रतिनियुक्ति के लिए आने वाले उम्मीदवारों ने भी एक साथ प्रशिक्षण शुरू किया ।

10 सक्षम प्राधिकारी अर्थात पुलिस उपमहानिरीक्षक वारगल ने दिनांक 17.01.1996 को एक ज्ञापन के माध्यम से पुलिस जोन वारगल रेंज के उपनिरीक्षकों को वरिष्ठता सूची जारी की उस वरिष्ठता सूची में मूल 58 पुलिस उपनिरीक्षकों (उक्त क्षेत्र के लिए चयनित में से) के नाम शामिल थे जिन्होंने जून 1992 में अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया था । जहाँ नकारात्मक स्थिति को प्रतिबंधित करना भी आवश्यक है अर्थात उपर्युक्त वरीष्ठता सूची में मुनुस्वामी का नाम शामिल नहीं था। जिन्होंने 58 उम्मीदवारों के साथ अपना प्रशिक्षण पूरा नहीं किया था जो दिनांक 11.04.1991 /17.05.1991 के तहत अन्तिम चयन को आगे बढाने के लिए प्रशिक्षण में शामिल हुए थे । उपरोक्त वरीयता सूची में दिनांक 12.09.1991 की अधिसूचना के अनुसार चयनित और नियुक्त किये गए लोगों को भी शामिल नहीं किया गया था जिनके परिणामस्वरूप प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने पी.ई, पी.एम और एस पी से रिक्तियों का कोटा गलत तरीके से निर्धारित किया जाना निर्धारण किया । उपर्युक्त वरीष्ठता सूची में उन उम्मीदवारों के नाम शामिल नहीं थे जिन्हें दिनांक 22.01.1991 की

अधिसूचना के तहत इस कारण से चयनित किया गया था उनमें से कुछ पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालयों में शामिल होने में असफल रहे थें (अन्तिम चयन को आगे बढाने के लिए पत्र दिनांक 11.04.1991/07.05.1991)

11 यहा उपर दी गई तथ्यात्मक स्थिति से यह स्पष्ट है कि अधिसूचना दिनांक 22.01.1991 के अनुपालन में आयोजित चयन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण बैचों के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था पहले बैच का प्रशिक्षण 15.07.1991 को शुरू हुआ जबकि दूसरे बैच का प्रशिक्षण 14.06.1992 को शुरू हुआ था। उनमें से कुछ उम्मीदवारों ने 14.06.1992 को अपना प्रशिक्षण शुरू किया था 2002 के मूल आवेदन संख्या 5165 को दाखिल करके प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संपर्क किया दिनांक 17.01.1996 की वरिष्ठता सूची में उनके नाम शामिल न करने के लिए अधिकारियों पर हमला किया गया है जिसमें केवल 58 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। जो 15.07.1991 को प्रशिक्षण में शामिल हुए थे। वास्तव में 14.06.1992 को प्रशिक्षण शुरू करने वाले किसी भी उम्मीदवार का नाम उपरोक्त वरिष्ठता सूची में परिलक्षित नहीं था। प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने मूल आवेदन संख्या 5165 दिनांक 11.06.2002 के आदेश द्वारा मूल आवेदन का निस्तारण कर दिया उपरोक्त आदेश में जारी किए गए अन्तिम निर्देश यहा दिए जा रहे हैः ममले को ध्यान में रखते हुए आवेदकों को निर्देशित किया जाता है कि वे पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक को अपना पूरा पक्ष रखते हुए विस्तृत

आवेदन दें तथा पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक को निर्देशित किया जाता है कि वे जोन में पुलिस निरीक्षक के पदों पर पदोन्नति करने से पहले आवेदकों के अभ्यावेदन को निपटाने में प्राथमिकता दें।

प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा 11.06.2002 को जारी निर्देश के अध्यादेश में वे उम्मीदवार जिनका चयन दिनांक 22.01.1991 की अधिसूचना जारी होने के परिणाम स्वरूप किया गया था लेकिन 14.06.1992 को पुलिस प्रशिक्षक महाविद्यालय में अपना प्रशिक्षण शुरू कर दिया जाता है उन्होंने दावा किया कि उनके नाम उन अभ्यर्थियों के साथ जोड दिये जाने चाहिए थे जिन्होनें 15.07.1991 से अपना प्रशिक्षण शुरू किया था उपरोक्त दावे को

नियम 15 (तत्काल निर्णय की शुरूआत में) के आधार पर अनुमति दी गई थी । अभ्यावेदन प्राप्त होने पर पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक ने दिनांक 21.01.2003 के माध्यम से आंध्रप्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव से निम्नलिखित स्पष्टीकरण मांगा-

क्या एस एल एस सिविल की वरिष्ठता हालांकि 1991 की अधिसूचना पर चयन किया गया लेकिन 1992 के दौरान नियुक्त हुए और बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त किया गया था उसे एस एल एस सिविल 1991 के बैच के साथ सुनिश्चित किया जा सकता है क्योंकि उन्हें वर्ष 1991 में जारी अधिसूचना के अनुसार चुना गया था ।

मांगे गए स्पष्टीकरण के अवलोकन से पता चलता है कि उपरोक्त स्पष्टीकरण मांगने के पीछे वास्तविक मंशा यह थी कि क्या दिनांक 22.01.1991 की अधिसूचना के तहत चयनित उम्मीदवारों को एक ही बैच के उम्मीदवारों के रूप में माना जाना था क्या प्रशिक्षण शुरू करने की अलग अलग तिथियों के आधार पर दो बैचो के रूप में माने जायेंगे

(पहला बैच 15.07.1991 को और दूसरा बैच 14.06.1992 को) सीधे तौर पर कहा जाए तो सवाल यह था कि क्या चयनित उम्मीदवारों (दिनांक 22.01.1991 की अधिसूचना के क्रम में) को वर्ष 1991 के लिए एक ही बैच के रूप में माना जाना था या वैकल्पिक रूप से उन्हें दो बैचों के रूप में माना जाना था या उनमें से एक वर्ष 1991 को (अर्थात 15.07.1991 को प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त अभ्यर्थियों के संबंध में) और वर्ष 1992 का दूसरा (अर्थात 14.06.1992 को प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त अभ्यर्थियों के संबंध में) । आंध्रप्रदेश सरकार ने दिनांक 11.06.2002 के आदेश (2002 के मूल आवेदन संख्या 5165 का प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा निस्तारण करते समय पारित) के अनुपालन में और पत्र दिनांक 21.01.2003 के उत्तर में एक ज्ञापन दिनांक 17.03.2003 के तहत पक्षकारों की पारस्परिक वरिष्ठता के संदर्भ में स्पष्टीकरण की मांग करते हुए राज्य सरकार ने प्रतिनियुक्ति न करने में अपने द्वारा देरी को, रिक्तियों की गलत गणना के कारण पी ई, पी एम और एस पी कोटे से अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए चयनित करना स्वीकार किया ।

अपने द्वारा हुई देरी को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार का विचार था कि जिन उम्मीदवारों को देरी से प्रशिक्षण के लिए भेजा गया (जिन्होंने 14.06.1992 से संबंधित पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में अपना प्रशिक्षण शुरू किया था) जिन्होंने 15.07.1991 को प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था के साथ केवल वरिष्ठता के हकदार है राज्य सरकार के अनुसार 15.07.1991 और 14.06.1992 को प्रशिक्षण पाठयक्रमों के लिए प्रतिनियुक्त उम्मीदवारो को पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में उनके प्रशिक्षण को समापन तक ले जाकर इसे हासिल करना होगा । इसलिए यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने 14.06.1992 को प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त उम्मीदवारों (अर्थात वे आवेदक जिन्होंने 2002 की मूल आवेदन संख्या 5165 दाखिल करके प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संपर्क किया था) के तर्क को स्वीकार कर लिया यह स्थिति राज्य सरकार द्वारा इस तथ्य के कारण अपनाई गई थी कि उम्मीदवारों का चयन एक सामान्य प्रकिया के माध्यम से किया गया था (भर्ती बोर्ड द्वारा अधिसूचना दिनांक 22.01.1991 से शुरू की गई थी)

12 जिन उम्मीदवारों के नाम 11.04.1991 /07.05.1991 को जारी अन्तिम रूप से चयनित उम्मीदवारो की सूची मे शामिल थे उनका दावा था कि उन उम्मीदवारों की तुलना में मैरिट सूची में उपर थे जिन्हें 14.06.1992 को प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था और ऐसे लोगो को 11.04.1991 /07.05.1991 के पत्र द्वारा प्रशिक्षण के लिए नियुक्त

किया गया था उन्हें 14.06.1992 को प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किये गए उम्मीदवारों के बैच से अलग और अलग बैच माना जाना चाहिए। 58 अभ्यर्थी जिनके नाम दिनांक 11.04.1991 /07.05.1991 के पत्र मे शामिल थे और जिन्हें विशेष रूप से दिनांक 17.01.1996 की वरिष्ठता सूची में रखा गया था ने राज्य सरकार द्वारा दिनांक 17.03.2003 के आदेश/ज्ञापन के माध्यम से दिये गये निर्धारण पर अपनी विस्तृत आपत्तिया दर्ज की । राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक 26.12.2003 के तहत 15.07.1991 को प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त उम्मीदवारों द्वारा दायर आपतियों को खारिज कर दिया । संक्षेप में जिन अभ्यर्थियों को 15.07.1991 को प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था उनका यह दावा था कि उन्हें वरिष्ठता सूची में 14.06.1992 को प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त अभ्यर्थियों से उपर रखा जाना चाहिए को खारिज कर दिया गया । तदानुसार आदेश दिनांक 13.09.2004 के तहत राज्य सरकार ने एक ज्ञापन जारी कर निष्कर्ष निकाला कि 14.06.1992 को प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किये गये उम्मीदवार 15.07.1991 को प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किए गये उम्मीदवारों के साथ वरिष्ठता सूची में शामिल होने के हकदार है कुल मिलाकर राज्य सरकार ने निष्कर्ष निकाला कि भर्ती बोर्ड द्वारा दिनांक 22.01.1991 की अधिसूचना के क्रम में चयनित लोग उपर दिये गये नियम 15 के अनुरूप तैयार की गई संयुक्त /सामान्य वरिष्ठता सूची में शामिल होने के हकदार थे ।

13 राज्य सरकार द्वारा पारित अलग अलग आदेश का उल्लेख पिछले दो पैराग्राफ में किया गया है जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि 15.07.1991 को प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किये गये उम्मीदवारों को हम 14.06.1992 को प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त उम्मीदवारों के साथ वरिष्ठता के उदेश्य से शामिल करने के लिए उत्तरदायी है पहले की तरह प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष दायर किये गए मूल आवेदनों के एक समूह के माध्यम द्वारा हम पर हमला किया गया । उपरोक्त उल्लेखित मूल आवेदनों के बैच को प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 24.09.2004 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया । आवेदको ने पहले प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष रिट याचिकाओं की श्रृखला दायर की तत्पश्चात आंध्रप्रदेश के न्यायपालिका का हैदराबाद में स्थित उच्च न्यायालय (जिसे अब से आगे उच्च न्यायालय संबोघित किया जाएगा)का दरवाजा खटखटाया ।

रिट याचिकाओं को उच्च न्यायालय ने दिनांक 08.02.2005 के एक सामान्य आदेश द्वारा खारिज कर दिया । राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश को बरबकार रखने में उच्च न्यायालय का निर्णय साथ ही प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश वर्तमान अपीलों के बैच में चुनौती का विषय है । वह सामान्य आदेश जिससे विवाद का निर्धारण मूल रूप से प्रशासनिक न्यायाधिकरण और बाद में उच्च न्यायालय द्वारा किया गया था का मुददा चुनौती का विषय है।

14 हमारे सामने एक मात्र मुददा जो विचार के लिये उठाया है वह यह है कि क्या भर्ती बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22.01.1991 को आगे बढाते हुए चयनित उम्मीदवार एक बैच का गठन करते है या क्या वे प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्ति की अलग अलग तारीखों के आधार पर उम्मीदवार के दो बैच बनाते है इस अदालत के समक्ष आवेदको के विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह था कि चयनित उम्मीदवारों को उम्मीदवारों के दो बैचो के रूप में माना जा सकता है

अपीलकर्ता के अनुसार पहला बैच 15.07.1991 को प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्त उम्मीदवारों का बैच था अपीलकर्ता के अनुसार दूसरे बैच में वह उम्मीदवार शामिल होंगे जिन्हें 14.06.1992 को प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्त किया गया था ।

15 अपीलकर्ता द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उठाई गई चुनौती के विरूद्ध उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह था कि भर्ती बोर्ड द्वारा दिनांक 22.01.1991 की अधिसूचना के आगे केवल एक चयन प्रकिया आयोजित की गई थी उसी चयन सूची में से अभ्यर्थियों को पहले 15.07.1991 को और उसके बाद 14.06.1992 को प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया प्रतिवादी के निजी विद्वान अधिवक्ता और आंध्रप्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्थित तर्क यह था कि उम्मीदवारों को दो अलग अलग प्रशिक्षण समूहों में विभाजित किया जाएगा इसका परिणाम यह नही होगा कि उन्हें उम्मीदवारों के दो बैचों के

रूप में निर्धारित किया गया था तर्क यह था कि इन सभी उम्मीदवारों को भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित एक सामान्य प्रकिया के तहत नियुक्ति के लिये चुना गया था व उम्मीदवारों के एक ही बैच के रूप में माने जाने के पात्र थे।

पहला विचार

16 हम तीन चरणों की विचार वाली प्रकिया अपनाकर विवाद का निपटारा करने का साहस करेंगे तत्पश्चात हम अपना निष्कर्ष अभिलेखित करेंगे।

हम सर्वप्रथम केवल मुनुस्वामी के संबंध में वरिष्ठता की स्थिति की जांच करेंगे ।मुनुस्वामी का नाम हैदराबाद, आंध्रप्रदेश के पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक द्वारा दिनांक 11.04.1991 /07.05.1991 के तहत जारी चयनित उम्मीदवारों की सूची में शामिल है यह विवाद का विषय नहीं है कि उपरोक्त मुनुस्वामी को मूल रूप से 15.07.1991 को पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्त किया गया था । हालांकि मुनुस्वामी अपने व्यक्तिगत कारणों से प्रशिक्षण के अंत में आयोजित परीक्षा मे भाग नहीं लेने के कारण अपना प्रशिक्षण पूरा नहीं कर सकें। उपरोक्त मुनुस्वामी को अगले बैच में प्रशिक्षण के लिये 14.06.1992 को प्रतिनियुक्त उम्मीदवारो के बैच के साथ अपने प्रशिक्षण को पूरा करने की अनुमति दी गई थी उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति जिसपर प्रशासनिक न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा विधिवत विचार किया गया था , हमारे समक्ष सुनवाई

के दौरान विवादित नहीं था। हमारे विचार के लिये यह प्रश्न उठता है कि क्या मुनुस्वामी उन अभ्यर्थियों के बैच के साथ वरिष्ठता सूची में शामिल होने के हकदार होंगे जिनके साथ उन्हें मूल रूप से **15.07.1991** को प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्त किया गया था ।

हमारे विचार करने के पश्चात और नियम **15 (**इस निर्णय की शुरूआत में दिया गया **)** के प्रांसगिक प्रावधान के अन्तनिहित मूल सिद्वान्त को ध्यान में रखते हुए हमारा विचार है कि उपरोक्त प्रावधान के तहत वरिष्ठता का निर्धारत निम्नलिखित प्रभाव से अनिर्वाय हो जाता है सर्वप्रथम पुलिस उपनिरीक्षकों की परस्पर वरिष्ठता उनके चयन के समय तैयार की गई वरियता सूची के अनुसार निर्धारित नही की जाती है । और दूसरा पुलिस उपनिरीक्षकों को परस्पर वरिष्ठता पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालयों में उनके प्रशिक्षण के समापन पर अन्तिम परीक्षा में प्रत्येक परीक्षार्थी की उसके द्वारा प्राप्त अंको के योग के आधार पर निर्धारित की जाती है। जहाँ तक उपर्युक्त मुनुस्वामी का संबंध है प्रथम दृष्टया प्रशिक्षण के लिये नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को यह तर्क देने की स्वतंत्रता नहीं है कि यद्यपि मुनुस्वामी का नाम **14.04.1991/07.05.1991** को जारी अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची में शामिल किया गया था फिर भी उनकी वरिष्ठता बाद में प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्त अभ्यर्थियों के साथ निर्धारित की जानी चाहिए। यह स्पष्ट है कि जहाँ तक मुनुस्वामी का प्रश्न है चूंकि उनका नाम दिनांक **11.04.1991 /07.05.1991** के पत्र के माध्यम से

पुलिस उपनिरीक्षको के रूप में अन्तिम रूप से चयनित उम्मीदवारों के नाम में शामिल किया गया था जिन्हें बाद में समान पत्र (दिनांक 11.04.1991 / 07.05.01991) के माध्यम से प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्त किया गया था उन्हें यह तर्क देने की अनुमति नही दी जा सकती कि उनकी वरिष्ठता उनके साथ निर्धारित नहीं की जा सकती । अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह सुझाया गया कि उपयुक्त कार्यप्रणाली अनुवृत नहीं है क्योंकि यह प्रश्नगत नियम के परन्तुक के दायरे से परे किसी चीज को प्रधानता देगी । हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि मुनुस्वामी को 15.07.1991 को प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्त किये गये लोगों के साथ वरिष्ठता सूची में शामिल किया जाना चाहिए इसका सरल कारण यह है कि उनका नाम 11.04.1991 /07.05.1991 के पत्र के माध्यम से प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्त नामों की सूची में (अपीलकर्ताओं सहित) में शामिल था । इसलिए इसमें कोई संदेह नही है कि जहाँ तक मुनुस्वामी का प्रश्न है भले ही उन्होंने 14.06.1992 को शुरू हुए पाठयक्रम में अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो नियम 15 के अनुसार पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में अपने प्रशिक्षण पूरा होने पर उसके द्वारा प्राप्त अंको के योग के अनुसार उनका स्थान परस्पर वरिष्ठता सूची में उन लोगों के साथ परिबिंबित होना तय था जिनके साथ उन्हें प्रशिक्षण हेतू प्रतिनियुक्त किया गया था

दूसरा विचार

जहाँ तक इस उपाय का प्रश्न है हम प्रशासनिक न्यायाधिकरण के (1991 के मूल आवेदन क्रमांक 29957 का निस्तारण करते हुए दिनांक 30.07.1991 द्वारा जारी निर्देशो के परिणामस्वरूप पी ई , पी एम और एस पी कोटे से संबंधित रिक्तियों के खिलाफ पुलिस उपनिरीक्षकों के रूप में नियुक्त उम्मीदवारों की वरिष्ठता के निर्धारण के तरीके पर विचार करेंगे इस संबंध में यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि दिनांक 22.01.1991 की अधिसूचना को आगे बढाते हुए नियुक्तिया करते समय उपरोक्त प्रत्येक कोटे में आने वाली रिक्तियों को राज्य सरकार द्वारा गलत तरीके से निर्धारित किया गया पाया गया था । तदानुसार प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने राज्य सरकार को उक्त कोटे की संख्या की पुर्नगणना करने और नियुक्ति करने का निर्देश दिया। यह विवाद का विषय नहीं है कि प्रासंगिक न्यायाधिकरण के निर्धारण के परिणाम स्वरूप , उपरोक्त कैडरों के संदंर्भ में की गई ।

प्रत्येक जोन के लिये कोटे जिसका की गलत तरीके से निर्धारण किया गया था उसकी पुर्नगणना की गई । राज्य सरकार ने पी ई , पी एम और एस पी कोटा के संदर्भ में रिक्त स्थिति की पुर्नगणना कर अधिसूचना दिनांक 22.01.1991 को आगे बढाते हुए , भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित चयन प्रकिया से उपरोक्त कोटे से उम्मीदवारो को नियुक्त किया । इसके बाद उन्हें दिनांक 14.06.1992 को प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्त किया गया इसलिए यह स्पष्ट है कि यदि राज्य सरकार द्वारा कोटे का सही ढंग से निर्धारण किया गया होता तो इन उम्मीदवारों को मूल रूप से अन्य लोगों के साथ नियुक्त किया

गया होता जिन्हें जब हैदराबाद आंध्रप्रदेश के पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक द्वारा दिनांक 11.04.1991 /07.05.1991 की जारी पत्र के तहत नियुक्त किया गया था । उपरोक्त स्थिति में उन्हें पहली बार दिनांक 15.07.1991 को प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्त किया गया होता । उनकी कोई गलती नही होने के बावजूद उसी भर्ती प्रकिया में जो 22.01.1991 की अधिसूचना के क्रम में आयोजित की गई थी उसमें उनके चयन होने के बावजूद भी उन्हें 14.06.1992 को प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्त किया गया था। पी ई , पी एम और एस पी कोटे से संबंधित उम्मीदवारों की नियुक्ति में देरी की जिम्मेदारी पूरी तरह से नियुक्ति प्राधिकारी पर पडती है न की उन उम्मीदवारों पर जिन्हें बाद में पी ई , पी एम और एस पी कोटे के तहत प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्त किया गया था। जैसा कि उपर प्रथम विचाराधीन में कारण के रूप में दर्शाया गया है उसके समान हमारा मानना है कि दिनांक 14.06.1992 को पी ई , पी एम और एस पी कोटे के तहत प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्त किये गये उम्मीदवार दिनांक 15.07.1991 को मूल रूप से चयनित उम्मीदवारों के साथ प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्त नही किये जाने के लिये किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है बिल्कुल मुनुस्वामी के समान ही वरिष्ठता सूची में निर्धारित होने के भागी है । यह उपर्युक्त नियम 15 के प्रासंगिक परन्तुक के अधिदेश के अनुसार उन्हें पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में उनके प्रशिक्षक के समापन पर अन्तिम परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त कुल अंको के आधार पर उनकी स्थिति का निर्धारण करके

उन्हें मूल वरिष्ठता सूची में शामिल उम्मीदवारों के साथ जोडकर किया जा सकता है ।

तीसरा विचार

नियुक्ति के प्रश्न पर उपरोक्त विचार एक और विचार दो से हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि भले ही नियुक्त व्यक्तियों को **14.06.1992** को प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था लेकिन उनकी वरिष्ठता उन उम्मीदवारों के साथ निर्धारित की जानी थी जिन्हें **15.07.1991** को प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। अब हम उन अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरिष्ठता तय करने के तरीके पर विचार करने का प्रयास करेंगे , जिनका चयन भर्ती बोर्ड द्वारा दिनांक **22.01.1991** की अधिसूचना के क्रम में आयोजित चयन प्रकिया में किया गया था लेकिन उन्हें इस तथ्य के कारण नियुक्त नहीं किया गया था कि वे विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के अन्तर्गत नहीं आते थे हालांकि यह नोटिस करना प्रांसगिक है कि पत्र दिनांक **01.04.1991 /07.05.1991** जारी होने के पश्चात जिसके तहत अन्तिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को सभी **7** जोन में पुलिस उप निरीक्षक के पदो ंके लिए विज्ञापित रिक्तियों को भरने के लिए प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्त किया गया था यह पता चला कि सभी अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार कथित प्रशिक्षण हेतू पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में शामिल नहीं हुए थे। जहाँ तक जोन **5** वारगल रेंज का प्रश्न है केवल **58** उम्मीदवार प्रशिक्षण में शामिल हुए । उसी क्षण नियुक्ति प्राधिकारी के लिए

यह स्वतंत्रता थी कि वह प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त अभ्यर्थियों को उनमें से जिनके नाम दिंनाक **11.04.1991 /07.05.1991** के पत्र द्वारा प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त अभ्यर्थियों के नाम के ठीक नीचे थे उन्हें शेष रिक्तियों को भरने के लिए प्रशिक्षण हेतू प्रतिनियुक्त करें । सक्षम प्राधिकारी ने इन उम्मीदवारों के नाम प्रतिनियुक्ति करने में देरी की। इससे अन्ततः इन उम्मीदवारों को दिनांक **14.06.1992** को प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया । यहा उपर दर्शायी गयी तथ्यात्मक स्थिति में हमारे लिए यह स्वीकार करना संभव नहीं है कि जिन उम्मीदवारों को **15.07.1991** को प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था और जिन्हें **14.06.1992** को कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था उन्हें **2** अलग अलग बैचों के रूप में वर्णित किया जा सकता है । चयन प्रकिया उसी अधिसूचना दिनांक **22.01.1991 (**चयन भर्ती बोर्ड द्वारा जारी**)** को आगे बढाते हुए संयुक्त रूप से की गई थी हमारे लिए यह निष्कर्ष निकालना अनिवार्य हो जाता है कि उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के दो अलग अलग पाठयक्रमों **(15.07.1991** को और **14.06.1992)** में नियुक्त किया गया था जो अनिवार्य रूप से एक ही बैच के उम्मीदवार थे जिनका चयन, चयन की एक सामान्य प्रकिया के माध्यम से किया गया था । वास्तव में जहाँ तक पारस्परिक वरिष्ठता के मुददे का संबंध है तत्काल निष्कर्ष अपरिहार्य है क्योंकि जिन तिथियों पर उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था वे नियम **15** के संबंध में अप्रासंगिक है। नियम **15** किसी भी संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोडता है कि चयन की

सामान्य प्रकिया से चुने गये उम्मीदवारों की पारस्परिक वरिष्ठता का निर्धारण करते समय चयन प्रकिया में योग्यता की स्थिति को भी ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। यदि हम अपीलकर्ता की ओर से दिए गए इस तर्क को स्वीकार करते है कि पहले बैच में प्रतिनियुक्त उम्मीदवारों को दूसरे बैच में प्रतिनियुक्त सभी उम्मीदवारों से उपर रखा जाना चाहिए तो हम अनिवार्य रूप से चयनित उम्मीदवारों को उनकी चयन प्रकिया में योग्यता की स्थिति के आधार पर दो समूहो मे रखेंगे ।

यद्यपि दो बैचो (15.07.1991 का और 14.06.1992 का) में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किए गए उम्मीदवारों को चयन प्रकिया में उनके संबंधित योग्यता स्थिति के कारण ही प्रतिनियुक्त किया गया था । यह निर्धारण नियम 15 के प्रावधान का स्पष्ट उल्लंघन होगा जो बताता है कि पुलिस उपनिरीक्षको की परस्पर वरिष्ठता उनके चयन के समय तैयार की गई वरियता सूची के अनुसार निर्धारित नही की जानी है चयन प्रकिया की सामान्य प्रकिया से चुने गये उम्मीदवारों की वरिष्ठता राज्य के पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय आंध्रप्रदेश में उनके प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त अन्तिम कुल अंको के आधार पर की जाती है।

नियम का अधिदेश होने के नाते हमारा मानना है कि जिन अभ्यर्थियों ने चयन की सामान्य प्रकिया में भाग लिया था चाहे वे किसी भी तारीख को प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किए गए हो उनकी परस्पर वरिष्ठता संबंधित पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय की अन्तिम परीक्षा में उनके

द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए। सेवा नियमों के नियम 15 पर हमारे द्वारा रखी गई यह व्याख्या नियम में दिए गए अन्तर्निहित सिद्धान्त को संतुष्ट करती है अर्थात पुलिस उपनिरीक्षक के पद पर नियुक्त उम्मीदवारों को चयन की प्रक्रिया में प्राप्त किए गए अंको के आधार पर नहीं लेकिन प्रशिक्षण प्रक्रियाओं के समापन पर उनके द्वारा प्राप्त कुल अंको के अनुसार वरिष्ठता सूची में व्यवस्थित किया जाना था। इसके अतिरिक्त तात्कालिक व्याख्या के परिणामस्वरूप हमारे द्वारा तकसीम किए गए तीन अलग अलग विचारों का एक समान निर्धारण होगा। मुनुस्वामी के लिए एक सिद्वान्त 30.07.1991 को प्रशासनिक न्यायाधिकरण (1991 के मूल आवेदन सं.29957 में द्वारा जारी किए गए निर्देशों के क्रम में चयनित और नियुक्त लोगों के लिए एक और सिद्धान्त लागू करना और एक अलग सिद्धान्त उन अभ्यर्थियों की वरिष्ठता के लिए जिन्हें बाद में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था क्योंकि कुछ चयनित और नियुक्त अभ्यर्थी प्रशिक्षण में शामिल नही हुए थे विवेकहीन होगा। यह आवश्यक होने के बावजूद अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए नियुक्त करने की प्रकिया कुछ ही दिनों के भीतर अपनाई जा सकती थी क्योंकि कुछ चयनित अभ्यर्थी प्रशिक्षण महाविद्यालय में शामिल नहीं हुए थे संबंधित अधिकारियों ने इस मामलें एक साल तक की देरी की। हमारे लिए न तो देर से नियुक्त किये गए संबंधित उम्मीदवारों में गलती ढूंढना सम्भव है न ही हमारे लिए उम्मीदवारों को प्रशिक्षण पाठयक्रम में देरी से नियुक्त करने के कारण उनके

वरिष्ठता के सीधे और सरल नियम की अलग अलग व्याख्या करना संभव है।

17. हमारे द्वारा व्यक्त विचार राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखता है और प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 24.09.2004 को पारित सामान्य आदेश के साथ साथ उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08.02.2005 को पारित आदेश मे व्यक्त की गई कानूनी स्थिति की भी पुष्टि करता है।

18 जहाँ तक उपर उल्लेखित तीनों विचारो के निष्कर्ष का प्रश्न है यहाॅ यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने वे अभ्यर्थी जिन्हें 15.07.1991 को प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया था के पक्ष में जोरदार ढंग से तर्क दिया था कि नियम 15 ए का पहला प्रावधान वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होगा क्योंकि पहला प्रावधान एक संयुक्त प्रशिक्षण प्रक्रिया पर विचार करता है जहाँ पुलिस उपनिरीक्षक के रूप में चयनित और नियुक्त उम्मीदवारों को पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में एक संयुक्त /सामान्य प्रशिक्षण के दौरान उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है यह तर्क दिया गया कि दो भिन्न प्रशिक्षण प्रक्रियाए पहली जो दिनांक 15.07.1991 को शुरू हुई और दूसरी जो 14.06.1992 को शुरू हुई के आधार पर उम्मीदवारों को परस्पर वरिष्ठता को अलग अलग रूप में निर्धारित करना अनुचित और अनौचित्यपूर्ण होगा ।

19 पूर्वगामी पैराग्राफ में दी गई प्रस्तुतिया पहली नजर में आकर्षक लगती है हालांकि प्रतिवादी राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि जिन लोगों को अन्तिम रूप से (दिनांक 11.04.1991 /07.05.1991 के विस्तृत पत्र अनुसार) चुना गया था और जिन्हें दिनांक 15.07.1991 को आंध्रप्रदेश राज्य के दो अलग अलग प्रशिक्षण महाविद्यालयों में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था यदि अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दी गई दलील को राज्य सरकार के विद्वाना अधिवक्ता के अनुसार स्वीकार किया गया तो जोन 5 वांरगल रेंज में चुने गए 58 उम्मीदवारों की वरिष्ठता कि वैधता भी निर्धारित नही की जा सकेगी इसका सीधा कारण यह था कि उन्होने दो अलग अलग पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालयों में प्रशिक्षण लिया था/ राज्य के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार जिन उम्मीदवारों को बाद में दिनांक 14.06.1992 को प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था उन्हें आंध्रप्रदेश राज्य में उन्ही दो प्रशिक्षण महाविद्यालयों में प्रतिनियुक्त किया गया था पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए पाठयक्रम और निर्धारित मानक उसी प्रकार है जिस तरह उम्मीदवारों को दो अलग अलग पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालयों में प्रतिनियुक्त किया जाता है वरिष्ठता सूची में अपना स्थान तय करने के लिए उनके द्वारा प्राप्त कुल अंको के आधार पर एक दूसरे से तुलना की जा सकती है इसलिए अलग अलग तिथियों (15.07.01991 और 14.06.1992 को) प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किये गये उम्मीदवारों की पुलिस प्रशिक्षण की अंतिम परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त कुल अंको के आधार पर एक दूसरे से तुलना की जा सकती है । हम

उपरोक्त कारणो से आंधप्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों को योग्य पाते है ।

उपरोक्त कारणों से हमारे लिए अपीलकर्ताओ के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्क को स्वीकार करना संभव नही है ।

20 सुनवाई के दौरान अपीलकर्ताओ और गैरसरकारी उत्तरदाताओ के समर्थन में अधिवक्ता संघ ने कुछ निर्णयों का हवाला दिया गया उदधृत निर्णय वरीष्ठता के विशेष नियम से संबंधित है जो विचार का विषय था जिन वरिष्ठता नियमो पर विचार किया गया उनमे से कोई भी नियम 15 के समान नही है जिसे वर्तमान मामलें में पुलिस उपनिरीक्षक की परस्पर वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए लागू किया जाना है चूंकि उपर्युक्त नियम 15 की वैधता चुनौती का विषय नही है इसलिए हमनें उसकी मंशा और उसके अनुरूप व्याख्या करने का साहस किया है ।

हम इस निर्णय पर प्रतिद्वंदी पक्षो के अधिवक्ता संघ द्वारा उदधृत निर्णयों का भार नही डालना चाहेंगे।

21 हमें उपर उल्लेखित कारणों से वर्तमान दीवानी अपील में योग्यता प्राप्त नही हुई तदनुसार उन्हें खारिज किया जाता है ।

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अधिवक्ता शिव बहादुर सिंह द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित कि या गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं कि या जासकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।